


इसने पत्रावली में उपरोक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोटो अप्रार्थी के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 अन्वयान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसगंर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली के खाता सं. 35 के रकबा 0.24 है, आ. सं. 380 रकबा 0.20 है किता 2 रकबा 0.06 है, आ.सं. बावडी तथा खाता सं. 196 रकबा 0.02 है रास्ता, खाता सं. 97 के आ.सं. 172 रकबा 0.26 है, आ.सं. 173 रकबा 0.67 है, आ.सं. 180 रकबा 0.32 है, आ.सं. 191 रकबा 0.50 है, आ.सं. 192 रकबा 0.10 है, आ.सं. 193 रकबा 0.43 है, आ.सं. 495 रकबा 0.54 है, आ.सं. 496 रकबा 1.55 है, आ.सं. 497 रकबा 0.45 है, आ.सं. 498 रकबा 0.36 है किता 10 रकबा 5.18 है, मैं प्रार्थिया का नाम विकी कुमारी पुत्री हीरालाल ब्राह्मण के बजाय पारस पुत्री हीरालाल ब्राह्मण दर्ज किया जावे। इस निर्णय से आराजियात व हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(सहस्र-संगारिया)
सहायक कमिश्नर व
महसुदा कलेक्टर एवं
सुपरवाइजर, अधिकांश
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसगंर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसगंर